राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1491/2024

सुमित्रा –अपीलार्थी

बनाम

1. शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं एवं अतिरिक्त निदेशक (प्रशासनिक), पंचायती राज (चिकित्सा) विभाग, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 19.03.2024
आदेश की दिनांक :

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री आर.डी. मीणा, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलों की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर उक्त समस्त अपीलों पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति ए.एन.एम. के पद सीएचसी श्रीमाधोपुर जिला सीकर में दिनांक 30.11.2009 को हुई थी। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 05.07.2023 (अनुलग्नक–2) के द्वारा वर्ष 2021–22 से 2022–23 की रिक्तियों के विरूद्ध अपीलार्थी को नर्सिंग ऑफिसर के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि पदोन्नति पद पर पदस्थापन के लिए प्रत्यर्थी विभाग द्वारा तीन विकल्प आमंत्रित किये। जिसमें अपीलार्थी द्वारा निम्न विकल्प दिये गये। (01) पीएचसी, देवगढ़ पीपराली, जहां पर दो पद रिक्त थे। (02) पीएचसी, बरोल, पीपराली, जहां पर दो पद रिक्त थे। (03) पीएचसी, सिकराय, पीपराली, जहां पर दो पद रिक्त थे (अनुलग्नक–3)। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.09.2023 (अनुलग्नक–4) के द्वारा अपीलार्थी को उप जिला अस्पताल, श्रीमाधोपुर, जिला सीकर में पदस्थापित किया गया। चिकित्सा अधिकारी सांगरवा ने आदेश दिनांक 20.09.2023 (अनुलग्नक–5) के द्वारा अपीलार्थी को सीएचएमओ नीमकाथाना कार्यालय में उपस्थिति देने हेतु कार्यमुक्त करने के निर्देश दिए, जिसकी अनुपालना में आदेश दिनांक 20.09.2023 के द्वारा राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सांगरवा द्वारा अपीलार्थी कार्यमुक्त

कर दिया गया। अपीलार्थी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीमाधोपुर के यहां उपस्थित हुआ। उप जिला चिकित्सालय श्रीमाधोपुर सीकर नाम से कोई चिकित्सा संस्था संचालित/स्वीकृत नहीं होने के कारण मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नीमकाथाना सीकर द्वारा अपीलार्थी की सेवाएं अतिरिक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर को लौटा दी गई। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 13.03.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण सीएचसी पांचला सिद्धा, खींवसर, जिला नागौर में 250 कि.मी. दूर किया गया। अपीलार्थी की छोटी पुत्री है, जो मिर्गी की बीमारी से ग्रसित है तथा अपीलार्थी के पति भी राजकीय सेवा में पुलिस विभाग में कार्यरत है। अपीलार्थी की पुत्री की देखभाल करने वाला अपीलार्थी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। राज्य सरकार की सामान्य नीति रही है कि यदि पति–पत्नी राजकीय सेवा में कार्यरत हो तो दोनों को एक ही जिले या आस–पास के स्थान पर पदस्थापित रखने का प्रावधान है। अपीलार्थी द्वारा पंचायत राज विभाग के परिपत्र दिनांक 02.10.2010 के नियम 8 (III) के तहत् पंचायत राज विभाग से एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरण करने के लिए सहमति प्राप्त नहीं की गई है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 13.03.2024 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी द्वारा दिये गये जिला सीकर में तीन विकल्पों के आधार पर किसी एक रिक्त पद पर पदस्थापित करने के आदेश फरमाये जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.09.2023 के द्वारा अपीलार्थी का नर्सिंग ऑफिसर के पद पर पदोन्नति होने पर अपीलार्थी का पदस्थापन पीएचसी सांगरवा पीपराली, जिला सीकर में किया गया। उप जिला चिकित्सालय श्रीमाधोपुर सीकर नाम से कोई चिकित्सा संस्था संचालित/स्वीकृत नहीं होने के कारण मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नीमकाथाना सीकर द्वारा अपीलार्थी की सेवाएं अतिरिक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर को लौटा दी गई। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 13.03.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का नर्सिंग ऑफिसर के पद पर पदोन्नति उपरान्त आदेशों की प्रतीक्षा से पदस्थापन सीएचसी पांचला सिद्धा, खींवसर, जिला नागौर में नियमानुसार किया गया है। सेवाविधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। नियोक्ता का यह विशेषाधिकार है कि वह अपने कार्मिक की सेवायें किस स्थान पर उसे पदस्थापित कर वहां की जनता को प्रदान करना चाहता

है। किसी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई विधिक अधिकार नहीं होता है। इस प्रकार पदस्थापन आदेश में हस्तक्षेप करना न्यायोचित नहीं होने से अपील खारिज किये जाने योग्य है।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)